(1239)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–3–6/2009/1/3 भोपाल, दिनांक 20 मार्च, 2009

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल म.प्र.ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :– काल्पनिक पदोन्नति पर स्थाईकरण किये जाने बावत्।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम–9 के अनुसार कोई व्यक्ति जो पहले से ही स्थायी सेवा में है, सीधी भरती, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा किसी अन्य पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उस सेवा या पद पर उसकी उपयुक्तता अभिनिश्चित करने के लिए सामान्यतः दो वर्ष की कालावधि के लिए स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। यदि शासन द्वारा स्थानापन्नता की कालावधि को परीक्षण की कालावधि घोषित किया जाता है तो परीक्षण की कालावधि की समाप्ति पर स्थानापन्न शासकीय सेवक को उस सेवा या पद पर जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उपयुक्त समझा जाए तो उसे स्थायी पद उपलब्ध होने पर उस सेवा या पद जिसमें उसे नियुक्त किया गया है स्थायी कर दिया जाएगा। अन्यथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण–पत्र उसके पक्ष में जारी किया जाएगा कि स्थानापन्न शासकीय सेवक को स्थायी कर दिया गया होता किन्तु स्थायी पद उपलब्ध नहीं है और जैसे ही स्थायी पद उपलब्ध होता है उसे स्थायी कर दिया जाएगा।

2/ कतिपय विभागों द्वारा स्पष्टीकरण चाहा गया है कि जिन शासकीय सेवकों की काल्पनिक पदोन्नति (Proforma Promotion) दी गयी है उनके स्थायीकरण की प्रक्रिया क्या होगी ? काल्पनिक पदोन्नति की अवधि स्थायीकरण हेतु परिवीक्षा अवधि गणना में ली जाएगी या नहीं ? इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि काल्पनिक पदोन्नति की अवधि को वरिष्ठता निर्धारण एवं वेतन निर्धारण की गणना में लिया जाता है। ऐसे प्रकरणों में संबंधित शासकीय सेवक को पदोन्नति पद का वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत पद का वेतन एवं भत्तों की पात्रता होती है परन्तु पदोन्नति दिनांक एवं वास्तविक रूप से पदभार ग्रहण करने के दिनांक के बीच की अवधि का वेतन एवं भत्तों का एरियर देय नहीं होगा क्योंकि इस अवधि में पदोन्नति पद का कोई कार्य संपादित नहीं किया है (वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ 1–2/73/नि–1/4, दिनांक 26.4.74)। अतः काल्पनिक पदोन्नति प्राप्त शासकीय सेवक से कनिष्ठ शासकीय सेवक को जिस तिथि से स्थायी किया गया है उस तिथि से उसे भी स्थायी किये जाने पर विचार किया जाए। स्थायीकरण हेतु उपयुक्त पाये जाने पर उपरोक्त पैरा–1 के अनुसार कार्रवाई की जाए।

3/ यदि परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक हो तो काल्पनिक पदोन्नति प्राप्त शासकीय सेवक को भी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

4/ स्थायीकरण हेतु संबंधित शासकीय सेवक के परिवीक्षा अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों पर विचार किया जाता है। चूंकि काल्पनिक पदोन्नति प्राप्त शासकीय सेवक द्वारा वास्तविक रूप से पदोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में वह जिस पद पर कार्यरत है उस पद के पदोन्नति दिनांक से दो वर्ष अथवा निर्धारित परिवीक्षा अवधि के गोपनीय प्रतिवेदनों को विचार में लिया जाकर स्थायीकरण के संबंध में विचार किया जाए।

19/3/09

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 20 मार्च, 2009

पृष्ठांकन कमांक सी–3– 6 / 2009 / 1 / 3

प्रतिलिपि –

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल
8. मंत्री / राज्य मंत्रीगण के निज सचिव / निज सहायक, म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर / जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव / सा.प्र.वि.मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव / अवर सचिव, स्थापना / अधीक्षण / अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल.
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
18. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

19/3/09

(व्ही.एस.सावनेर)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग